भारत सरकार

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 3622

(शुक्रवार, 16 मार्च, 2018/25 फाल्गुन, 1939 (शक) को दिया गया)

निर्धन बच्चों की शिक्षा हेतु सीएसआर निधि

3622. श्री सतीश चंद्र दुबेः

क्या **कारपोरेट कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार निर्धन बच्चों की शिक्षा के लिए कारपोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) निधियों का उपयोग करने का विचार रखती है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विधि और न्याय एवं कारपोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. पी. चौधरी)

(क) और (ख): सरकार का कारपोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) निधियों को उपयोग में लाने का कोई अधिदेश नहीं है। तथापि, कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) की धारा 135 में निर्दिष्ट सीमा से ऊपर कारोबार या निवल मूल्य या निवल लाभ वाली प्रत्येक कंपनी को तत्काल पूर्ववर्ती तीन वित्तीय वर्षों के दौरान कमाए गए निवल लाभ का न्यूनतम औसत दो प्रतिशत अधिनियम की अनुसूची-VII में विनिर्दिष्ट कारपोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) कार्यकलापों पर व्यय करना अनिवार्य किया गया। इसके अतिरिक्त, अधिनियम की धारा 135(3) और (4) कंपनी के बोर्ड को अधिनियम की अनुसूची-VII में सूचीबद्ध मदों, जिनमें 'शिक्षा प्रोत्साहन' शामिल है, के लिए सीएसआर निधियों के आबंटन के संबंध में निर्णय लेने का अधिकार देती है।

*****